...केन्द्र पर राजस्व न्यायालय...
...खा गया है, जिसमें राजस्व न्यायालय लोक अदालत व...
...नवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत अ...
...सहित पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता ...
...के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण किया जा...

अतः इस पत्रावली से संबंधित दोनों प... द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व ... केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र ...नेतरा... को पेश ... पर आयंदा दिनांक 16/6/17 .....

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 20/2016 जमना बनामः शिवलाल वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 व सपठित आदेश–39,नियम–1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक 16.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प अटल सेवा केन्द्र–नेतरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेजात इत्यादि पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि सरहद ग्राम नेतरा पटवार सर्कल नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 543 रकबा 0.953 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 18/2016 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

लगातार–

उपखण्ड अधि...री
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 20/2016 जमना बनामः शिवलाल वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 व सपठित
आदेश–39,नियम–1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

———

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीनी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद ग्राम नेतरा पटवार सर्कल नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 543 रकबा 0.953 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 18/2016 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 16.06. 2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 18/2016 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner